UPBG010004742013

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या- 01, बागपत।

उपस्थितः पूनम राजपूत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे० ओ० कोड- यू०पी० 6104

सत्र परीक्षण कम्प्यूटर संख्या - 200448/2013

उत्तर प्रदेश राज्य

.......अभियोजक।

बनाम

संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह जाट, निवासी ग्राम धामर, थाना सदर रोहतक, जनपद रोहतक (हरियाणा) ।

.........अभियुक्त।

मु०अ०सं०	26/2013
अन्तर्गत धारा	60/72(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं०
थाना	चाँदीनगर
जिला	बागपत

संक्षिप्त-विवरण

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य
राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व	श्री गगन गौड
अभियुक्त	संदीप
अभियुक्त की ओर से प्रतिनिधित्व द्वारा अधिवक्ता	अधिवक्ता श्री दीपक जैन
घटना की तिथि व समय	दिनांक 17.03.2013, समय 18:15 पी०एम० बजे
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि व समय	दिनांक 17.03.2013, समय 18:15 पी०एम० बजे
आरोप पत्र प्रेषण की तिथि	02.07.2013

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.06.12 17:04:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय में प्रसंज्ञान की तिथि	02.07.2013
सत्र सुपुर्दगी	24.10.2013
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	04.03.2014
बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि	01.06.2026
अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि	03.06.2026
निर्णय की तिथि	12.06.2026

अभियोजन, अभियुक्त एवं न्यायालय साक्षियों की सूचीः-

(1) अभियोजन पक्षः-

क्रम संख्या	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
पी०डब्ल्यू०-1	एस०आई० अशोक कुमार	फर्द बरामदगी का साक्षी
पी०डब्ल्यू०-2	हेड का० अजीत सिंह	फर्द बरामदगी का साक्षी
पी०डब्ल्यू०-3	सेवानिवृत्त निरीक्षक सूरज सिंह	वादी मुकदमा
पी०डब्ल्यू०-4	सेवानिवृत्त एस०आई० ईश्वर सिंह	विवेचनाधिकारी

अभियोजन, अभियुक्त एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः-

क्रम सं०	**प्रदर्श संख्या**	**प्रकार**
1	प्रदर्श क-1/पी०डब्ल्यू० 01	फर्द बरामदगी कागज संख्या 4 अ/3
2	प्रदर्श क-2/पी०डब्ल्यू० 04	नक्शा-नजरी घटनास्थल कागज संख्या 7 अ
3	प्रदर्श क-3/पी०डब्ल्यू० 04	आरोप-पत्र संख्या- 23/2013 कागज संख्या 3 अ
4	प्रदर्श क-4/पी०डब्ल्यू० 04	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 अ/1 ता 4 अ/2
5	प्रदर्श क-5/पी०डब्ल्यू० 04	जी०डी०नं०-32 की कार्बन प्रति कागज संख्या 5 अ
6	प्रदर्श क-6	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की रिपोर्ट कागज संख्या 6 अ/1

<u>निर्णय</u>

1- अभियुक्तगण **संदीप व बिजेन्द्र** के विरुद्ध मु०अ०सं० 26/2013, अन्तर्गत धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 भा०दं०सं० के अपराध में थाना चाँदीनगर, जनपद बागपत की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप-पत्र पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त, आहूत कर परीक्षित किये जाने हेतु दिनांक 24.10.2013 को पत्रावली सत्र न्यायालय के सुपुर्द की गयी। जहाँ से अन्तरण के उपरान्त यह पत्रावली इस न्यायालय में

प्राप्त हुई और इसका परीक्षण प्रारम्भ किया गया।

2- दौरान विचारण अभियुक्त बिजेन्द्र के गैर-हाजिर हो जाने के कारण अभियुक्त बिजेन्द्र की पत्रावली पृथक कर दर्ज की गयी, जिस कारण इस मामले में अब मात्र अभियुक्त संदीप के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया जा रहा है।

3- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष सूरज सिंह की ओर से थाना चाँदीनगर, जनपद बागपत पर फर्द बरामदगी/तहरीर कागज संख्या 4 अ/3 **(प्रदर्श क-1)** इस आशय के साथ दी गई कि ".....दिनांक 17.03.2013 को मैं एस० ओ० सूरज सिंह मय एस० आई० श्री विनोद कुमार चौहान, का० 276 ऋषिपाल सिंह, का० 54 अशोक कुमार मय जीप सरकारी UP 17G 0068 मय 150 चालक महेन्द्र सिंह के थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 25 समय 15:10 पर वास्ते तलाश संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं शान्ति व्यवस्था अन्दर इलाका रवाना होकर जब ललियाना तिराहे पर पहुँचे तो पहले से मौजूद जनपद बागपत के आबकारी निरीक्षक श्री राजसिंह डावर मय आरक्षी आबकारी अजीत सिंह व जितेन्द्र कुमार मय जीप सरकारी UP 70Y 5233 मय चालक कृष्ण कुमार उपाध्याय के मिले तथा मुझ एस०ओ० को बताया कि हमें सूचना मिली है कि सुराना पुल से अवैध शराब आने की सूचना है अतः मौके पर तथा आसनाये राह से मकसद बताकर जनता के गवाहान फराहम करने की कोशिश की तो अपनी-अपनी मजबूरी बताकर चले गये तथा हम लोग अपनी-अपनी जीपों में मय फोर्स के सुराना पुल से पहले जंगल ग्राम ललियाना में सरकारी ट्यूबवेल दक्षिण दिशा के सामने पूर्व प्रधान अशोक के चक को जाने वाले चकरोड दिशा उत्तर में अपनी-अपनी जीपें खड़ी कर चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये तथा हम सभी सड़क पर जो ललियाना से सुराना को जाती है पर आकर चेकिंग के मकसद से खड़े हो गये कि खड़े होते ही सुराना पुल की तरफ को एक कार रंग नीली आती दिखायी दी तो हम सभी ने इशारा करके घेर कर रोका तो गाड़ी में बैठे चालक व पीछे बैठे व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, किन्तु चारों तरफ से घिरा होने के कारण भाग नहीं पाये। अतः नियमानुसार नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो एक ने जो चालक की सीट पर है ने अपना नाम संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गाँव धामण थाना सदर रोहतक जिला हरियाणा बताया जिसकी जामा तलाशी पर इसके पैरों में रखी दो जरीकैन प्लास्टिक जिनमें लगभग 10+10 लीटर शराब है जिनकी डाटों को खोलकर Ex. Ins. श्री राज सिंह डावर द्वारा मौखिक परीक्षण किया तो दोनों में शराब से भिन्न सुगन्ध आ रही है। डाटों को पुनः बन्द किया गया तथा इसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक मोबाइल रंग काला पुराना सैमसंग जिसमें वोडाफोन का सिम है बन्द हालत में मिला तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम जटियल थाना माडल टाउन पानीपत, जिला पानीपत (हरियाणा) बताया। जामा तलाशी पर इसके पैरों के नीचे खाली जगह में कार में रखे हुए 8 पेटी गत्ता जिनमें प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की फॉर सेल चण्डीगढ़ केवल अंग्रेजी में अंकित है मात्रा प्रत्येक में 180 एम एल तथा कार की डिग्गी को खोलकर देखा गया तो इसमें 10 पेटी गत्ता जिनमें प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की उपरोक्त प्रकार की कुल 18 पेटी कुल 864 पव्वे बरामद हुए तथा इसके दाहिने हाथ से एक पुराना इस्तेमाल नोकिया मोबाइल व रंग काला जिसमें ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं है Idea का सिम है बन्द हालत में बरामद हुआ तथा इसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से नकद 19,500/- रुपये उन्नीस हजार पाँच सौ रुपये नकद बरामद हुए। दोनों से बरामद शराब के बारे में मौके पर पूछताछ की गयी तो कैन में भरी शराब के बारे में बताया कि यह शराब प्रति पैग पीने वालों को हम सप्लाई करते हैं। इस शराब में आम शराब से ज्यादा नशा है। यह शराब हम हरियाणा से सस्ते दामों पर खरीदकर उ० प्र० में जगह-जगह मौका देखकर बार्डर पर सप्लाई करते हैं। गाड़ी का नम्बर DL 8CJ 0870 रंग नीला फीएट सीना बताते हैं के चालक व बिजेन्द्र से कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सके। अतः दोनों को जुर्म धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा०दं०सं०

से अवगत कराकर समय करीब 16:15 पर गिरफ्तार किये गये तथा दोनों जरीकेनों में से एक-एक लीटर बतौर नमूना व पेटियों में से 8 पव्वे बेस्टो व्हिस्की अंग्रेजी शराब बतौर नमूना लिये गये तथा पेटियों पर चिटबन्दी की गयी तथा जरीकेनों के ढक्कनों पर कपड़ा लगाकर सील सर्वे मुहर किये तथा नमूना मोहर बनाया गया तथा वाहन कार DL 8CJ 0870 के बिना कागजात D.C. के धारा 207 एम० वी० एक्ट में मौके पर सीजकर चालक संदीप को द्वितीय प्रति दी गयी। आने-जाने वालों को मकसद बताकर गवाही को कहा तो जल्दी बताकर चले गये। मानवाधिकार/माननीय न्या० के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर दी जायेगी। फर्द मौके पर मुझ एस०ओ० ने एस०आई० श्री विनोद कुमार चौहान को बोल-बोल कर से लिखायी। फर्द हमराहियान एवं आबकारी निरीक्षक व हमराहियान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर गवाही बनवाये जा रहे हैं। कार मय बरामदा शराब आदि का० चालक महेन्द्र सिंह से चलवाकर अपनी-अपनी जीपों से थाना हाजा मौके से रवाना होता हूँ।" उपरोक्त के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ।

4-(क)- वादी मुकदमा द्वारा दी गई उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर (प्रदर्श क-1) के आधार पर थाना चाँदीनगर पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण संदीप व बिजेन्द्र के विरुद्ध मु०अ०सं० 26/2013, धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनांक 17.03.2013 को समय 18:15 पी०एम० बजे दर्ज की गई।

(ख)- तत्पश्चात् विवेचना, विवेचक द्वारा आरम्भ की गई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये।

5- विवेचना समाप्त होने के पश्चात् विवेचक ने विस्तृत विवेचना कर, साक्ष्य इकट्ठा कर अभियुक्तगण संदीप व बिजेन्द्र के विरुद्ध मु०अ०सं० 26/2013 में आरोप-पत्र संख्या-23/2013 (प्रदर्श क-3) धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

6- आरोप-पत्र संख्या- 23/2013 पर तत्कालीन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 02.07.2013 को लेने के उपरान्त अभियुक्तगण संदीप व बिजेन्द्र का विचारण अन्तर्गत धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० के तहत किए जाने हेतु उक्त प्रकरण को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपर्द किया गया। सुपुर्दगी आदेश के आधार पर तत्कालीन श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा उक्त प्रकरण को सत्र परीक्षण संख्या 448/2013 (कम्प्यूटर संख्या- 200448/2013) के रूप में पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त सत्र परीक्षण को विधि अनुसार विचारण हेतु, पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी।

7- प्रस्तुत आपराधिक अभियोग में अभियुक्तगण संदीप व बिजेन्द्र को न्यायालय में तलब किया गया। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर दिनांक 04.03.2014 को अभियुक्तगण संदीप व बिजेन्द्र के विरुद्ध धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने विरचित आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

8- दौरान विचारण **अभियुक्त बिजेन्द्र के गैर-हाजिर हो जाने के कारण अभियुक्त बिजेन्द्र की पत्रावली पृथक** कर दर्ज की गयी।

9-(क)- अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्ल्यू० 01 एस० आई० अशोक कुमार, पी०डब्ल्यू० 02 हेड का० अजीत सिंह, पी०डब्ल्यू० 03 सेवानिवृत्त निरीक्षक सूरज सिंह एवं पी०डब्ल्यू० 04 सेवानिवृत्त एस० आई० ईश्वर सिंह को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

(ख)- प्रलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी कागज संख्या 4 अ/3 **(प्रदर्श क-1),** नक्शा-नजरी घटनास्थल कागज संख्या 7 अ **(प्रदर्श क-2),** आरोप-पत्र संख्या-

23/2013 कागज संख्या 3 अ **(प्रदर्श क-3),** चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 अ/1 ता 4 अ/2 **(प्रदर्श क-4),** जी०डी०नं०-32 की कार्बन प्रति कागज संख्या 5 अ **(प्रदर्श क-5),** विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की रिपोर्ट कागज संख्या 6 अ/1 **(प्रदर्श क-6)** पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं, जिन्हें अभियोजन साक्षियों द्वारा साबित किया गया है।

10- अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए उसके विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा चलना बताया, विवेचक द्वारा बिना परीक्षण रिपोर्ट के गलत तथ्यों पर आरोप-पत्र प्रेषित किया जाना बताया, उसके कब्जे से फर्जी बरामदगी दर्शित किया जाना बताया, उसे गलत रूप से गिरफ्तार कर फर्जी बरामदगी दिखाते हुए गलत मुकदमे में चालान करना बताया तथा उसके विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चलना बताया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से भी इन्कार किया।

11- दौराने बहस बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा घटना को साबित नहीं किया गया। विवेचक द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना कर गलत आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त को प्रश्नगत मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के पास से कोई संदिग्ध वस्तु, अपमिश्रित शराब या शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से फर्जी बरामदगी दर्शित की गयी है, जबकि तथाकथित बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र साक्षी पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से पत्रावली पर परीक्षित कराये गये समस्त साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं जो कि हितबद्ध साक्षीगण हैं। अतः इस आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की ओर से अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

12- खण्डन में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा अपनी-अपनी साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

13- न्यायालय द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी प्रपत्रों एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

14- इस मामले में अभियुक्त **संदीप** के विरुद्ध विरचित आरोपों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा यह निस्तारित किया जाना है कि- क्या दिनांक 17.03.2013 को समय करीब 16:15 बजे, स्थान जंगल ग्राम ललियाना, थाना चाँदीनगर, जनपद बागपत में थाना चाँदीनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त **संदीप** को गिरफ्तार किये जाने पर अभियुक्त के कब्जे से 18 पेटी गत्ता से 864 पव्वे अंग्रेजी शराब वेस्टो अपमिश्रित बरामद की गयी तथा अभियुक्त द्वारा उक्त बरामद की गयी शराब को यह जानते हुए कि वह पेय के रूप में बेची जायेगी, ऐसे अपमिश्रित किया गया कि वह पेय के रूप में अपायकर बन गयी?

15- अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु 04 साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष के लिए आबध्यकारी है कि वह सकारात्मक रूप से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करे।

<u>अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का मूल्यांकन।</u>

16- अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की परीक्षा निम्नवत् हैः-

(क)- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 एस०आई० अशोक कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 17.03.2013 को मैं बतौर का० थाना चांदीनगर पर तैनात था। उसी दिन एस०ओ० सूरज सिंह, एस०आई० विनोद कुमार चौहान, का० रिषीपाल मय सरकारी जीप चालक महेन्द्र सिंह के सात में थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 25 समय 15:10 बजे अन्दर इलाका मामूर थे। जब ललियाना तिराहे पर पहुँचे तो पहले से मौजूद बागपत जनपद के आबकारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह अपनी टीम के साथ मिले। उन्होंने एस०ओ० सूरज सिंह को अवैध शराब आने की सूचना दी। हमारे द्वारा जनता के गवाह बनाने का प्रयास किया गया। कोई तैयार नहीं हुआ। हम लोग अपनी-अपनी जीप से सुराना पुल से पहले सरकारी ट्यूबवेल के सामने जीपें खड़ी कर ललियाना से सुराना जाने वाली सड़क पर चेकिंग के उद्देश्य से खड़े हो गये। तभी सुराना पुल की तरफ से एक नीली रंग की कार आती दिखायी दी। हमने रुकने का इशारा किया। गाड़ी में बैठे चालक व पीछे बैठे व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, किन्तु हमने पकड़ लिया। नाम-पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तथा नाम-पता पूछा तो ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप पुत्र महेन्द्र बताया। इसके पैरों में रखी दो जरीकेन प्लास्टिक जिनमें लगभग 10-10 लीटर शराब है जिनका परीक्षण आबकारी निरीक्षक द्वारा किया गया। संदीप की पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक काले रंग का मोबाइल बरामद हुआ। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विजेन्द्र पुत्र महा सिंह बताया। कार में इसके पैरों के नीचे 8 पेटी गत्ता जिनमें प्रत्येक में 48 पव्वे Besto Whisky for SALE in CHANDIGARH Only बरामद हुई। कार की डिग्गी में 10 पेटी, प्रत्येक में 48 पव्वे Besto Whisky बरामद हुई। इसके दाहिने हाथ से एक नोकिया मोबाइल व जेब से 19,500/- रुपये बरामद हुए। शराब के बारे में पूछने पर बताया कि हम सस्ती शराब खरीद कर उत्तर प्रदेश में जगह-जगह सप्लाई करते हैं। इस शराब में से 8 पव्वे बतौर नमूना लिया गया। फर्द मौके पर एस०ओ० सूरज सिंह द्वारा बोल-बोल कर एस०आई० विनोद कुमार चौहान से लिखायी थी। पत्रावली पर कागज संख्या 4 अ/3 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। **<u>प्रदर्श क-1</u>** डाला गया।" साक्षी ने दौराने **प्रति परीक्षा पृष्ठ संख्या 04 पर** कथन किये कि '... ये कहना सही है कि बरामदा माल आज न्यायालय में मेरे सामने मौजूद नही हैं। बरामद 19500 में कितने-कितने के नोट थे, मैं नहीं बता सकता। नोटो की संख्या व मूल्य हमने अपनी फर्द बरामदगी में अंकित किया है। यदि उक्त बात फर्द में नहीं लिखी है तो मैं उसकी वजह नहीं बता सकता। आबकारी इन्सपेक्टर हमें ललियाना मोड़ पर मिले थे। हम पश्चिम दिशा से आ रहे थे और मुल्जिमान पूरब दिशा से आ रहे थे। हमने अशोक प्रधान के चक के पास सरकारी ट्यूबवेल पर मुल्जिमान को पकड़ा था। ट्यूबवेल ललियाना हिंडन पुल वाली रोड पर था। मौके पर फर्द बरामदगी बनायी थी और क्या कागज मौके पर तैयार हुए थे अब ध्यान नहीं है।' साक्षी ने **प्रति परीक्षा के पृष्ठ संख्या 05 पर** कथन किये कि 'मेरे एक कागज पर हस्ताक्षर हुए थे। 19500/- संदीप के पास से मिले थे। ये कहना गलत है कि ये पैसे मौके पर बिजेन्द्र से मिले हों और मैं आज झूठा बयान दे रहा होऊँ। फर्द तैयार करते समय मौके पर जनता का कोई गवाह मौजूद नहीं था।' साक्षी ने **इसी पृष्ठ पर आगे** कथन किया कि 'माल बरामद करते समय मुल्जिमान के पास कोई यूरिया नौसादर आदि नहीं मिला था। मौके पर हमने अलग से कोई सैम्पल नहीं लिया था।'

(ख)- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 हेड का० अजीत सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 17.03.2013 को मेरी नियुक्ति क्षेत्र अ० केकड़ा बागपत में आबकारी सिपाही के रूप में थी। उस दिन आबकारी निरीक्षक राज सिंह डागर, का० जितेन्द्र कुमार, मैं, मय सरकारी जीप व चालक कृष्ण कुमार उपाध्याय अंदर जिला

बागपत अवैध शराब को पकड़ने के लिए मामूर थे। हम सभी अवैध शराब पकड़ने के लिए थाना चांदीनगर के ललियाना तिराहे पर सुराना जाने वाली सड़क पर चेकिंग करने लगे तभी वहाँ एस०ओ० सूरज सिंह थाना चांदीनगर मय हमराहीगण आ गये। एस०ओ० सूरज सिंह को अवैध शराब आने की सूचना मिली। अवैध शराब हिंडन नदी पुल की ओर जाने वाली थी। हम सब सुराना पुल की तरफ सरकारी नलकूप के पास आये और इंतजार करने लगे। कुछ देर में एक नीली गाड़ी आती दिखायी दी, जिसको रुकने का इशारा कर हमने घेर घोट कर पकड़ लिया। कार में एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर, एक व्यक्ति पीछे बैठा था। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह बताया। इसके पैरों के पास 2 जरी कैन 10-10 लीटर शराब की रखी थी। इसकी पैन्ट की जेब से एक मोबाइल बंद हालत में मिला। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विजेन्द्र पुत्र महावीर बताया। इसके पैरों के पास 8 पेटी गत्ता जिसमें पव्वे Besto Whisky के जिस पर Only for Sale in Chandigarh लिखा था, बरामद हुए। कार की डिग्गी खोल कर देखा तो इसमें 10 पेटी गत्ते की जिनमें पव्वे थे उपरोक्त मार्का बरामद हुई। दाहिने हाथ में एक पुराना नोकिया मोबाइल मिला तथा इसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 19,500/- नकद मिले। पूछने पर बताया कि जरी कैन वाली शराब में अन्य शराब से ज्यादा नशा है। यह हम सस्ते दामों में लाकर महँगे रेट पर यू०पी० में बेचते हैं। मौके पर ही बरामद शराब में से कैन में से एक-एक लीटर शराब बतौर नमूना मोहर ली गयी व अन्य पेटियों में से नमूना मोहर लिये गये। नमूना लेने के बाद बरामद माल को सील सर्वे मोहर किया गया। आने-जाने वालों को गवाही के लिए कहा गया तो कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द मौके पर एस०ओ० सूरज सिंह ने बोल-बोल कर एस०आई० विनोद चौहान से लिखायी थी। पढ़कर, सुनाकर हमारे हस्ताक्षर कराये थे। प्रदर्श क-1 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की।" साक्षी ने **दौराने प्रति परीक्षा के पृष्ठ संख्या 04 पर** कथन किये कि '... कैन आगे ड्राइवर की बराबर वाली सीट के नीचे रखी थी। ये कैन ड्राइवर ने अपने पैरों में नहीं दबा रखी थी। 19,500/- बिजेन्द्र की जेब से बरामद हुए। नोट कितने-कितने मूल्य के थे, मैं नहीं बता सकता। घटना स्थल आम रास्ते का है।' साक्षी ने **प्रति परीक्षा के पृष्ठ संख्या 05 पर** कथन किये कि 'ये कहना सही है कि जनता का कोई निष्पक्ष साक्षी बरामदगी के समय मौजूद नहीं था। बरामदगा माल मौके पर ही जूट के बोरों में सील हुआ था। मौके पर 4 नमूना लिये गये थे। जो माल घटना स्थल से बरामद हुआ था वो आज मेरे सामने नहीं है। पव्वे 180 ml के थे। थाने पर हम शाम के 07:00 बजे के करीब पहुँचे थे।' साक्षी ने **इसी पृष्ठ पर आगे** कथन किये कि 'ये कहना गलत है कि मैं बरामदा माल के साथ थाने पर न गया होऊँ। मेरे 4 कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। जिनमें से 3 नमूना मोहर थे। एक फर्द थे।' साक्षी ने **प्रति परीक्षा के पृष्ठ संख्या 06 पर** कथन किये कि 'इसके अलावा मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं हुए। मुल्जिमान के कब्जे से कोई यूरिया व नौसादर या शराब बनाने के उपकरण नहीं मिले थे। बरामद माल मौके पर ही सील हुआ था। सील मोहर एक्साइज इन्सपेक्टर राज सिंह डावर के नाम की थी और उन्हीं के नाम से ही नमूना मोहर तैयार हुआ था। जूट के कट्टे पर मोटे पेन से लिखा गया था। कोई चिट नहीं लगायी थी।'

(ग)- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 03 सेवानिवृत्त निरीक्षक सूरज सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 17.03.2013 को मैं बतौर थाना प्रभारी चांदीनगर के पद पर तैनात था उसी दिन मैं व एस०आई० विनोद कुमार चौहान, का० अशोक कुमार, चालक महेन्द्र सिंह के साथ सरकारी जीप से बहवाले रपट नं० 25 समय 15:10 बजे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की तलाश एवं शान्ति व्यवस्था हेतु थाना क्षेत्र मामूर थे जब हम ललियाना तिराहे पर पहुँचे वहाँ पर पहले से मौजूद आबकारी निरीक्षक राज सिंह डागर अपने टीम के साथ मिले। आबकारी निरीक्षक द्वारा मुझे बताया गया कि उन्हें अवैध शराब आने की सूचना मिली है जो सुराना के पुल से आने वाली है। हमने जनता के गवाह को बनाने का प्रयास

किया। कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोग अपनी-अपनी जीप से चलकर सुराना पुल से पहले जंगल ग्राम ललियाना सरकारी ट्यूबवेल के सामने जीपें खड़ी कर चेकिंग के मकसद से खड़े हो गये तभी सुराना पुल से एक कार रंग नीली आती दिखायी दी। उसे रोकने का इशारा किया व घेर कर रोकी गयी। चालक व पीछे बैठे व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, परन्तु चारों ओर से घिरा होने के कारण भाग नहीं पाये। नाम-पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह बताया। इस के पैरों में रखी दो जरी कैन प्लास्टिक में लगभग 10-10 लीटर शराब थी। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम महा सिंह बताया। इसके पैरों में खाली जगह में कुल 8 पेटी गत्ते जिनमें प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की For Sale in Chandigarh लिखी, बरामद हुई। कार की डिग्गी से 10 पेटी गत्ते की, पेटी से प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की उपरोक्त बरामद हुई। इसकी जेब से 19,500/- रुपये बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि कैन में भरी शराब में ज्यादा नशा है। हम हरियाणा से सस्ती शराब लाकर यहाँ पर महँगी बेचते हैं। बरामद शराब में से नमूना मोहर लेकर नमूने व कच्ची शराब को सील सर्वे मोहर किया गया। गाड़ी के कागज दिखाने पर अभि० असफल रहे तो गाड़ी को 207 M.V. Act में सीज किया गया। फर्द मौके पर मेरे द्वारा बोल-बोल कर एस०आई० विनोद कुमार चौहान से लिखायी गयी। फर्द पढ़कर सुनाकर हमराहीगण के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक प्रति दोनों अभि० की सहमति से अभियुक्त संदीप को दी गयी व उनके हस्ताक्षर कराये गये। पत्रावली पर कागज संख्या 4 अ/3 देखकर गवाह ने बताया कि यह वही फर्द है जो मेरे द्वारा बोल-बोल कर लिखायी गयी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। शिनाख्त करता हूँ। फर्द पर पूर्व में प्रदर्श क-1 डाला जा चुका है।" साक्षी ने **प्रति परीक्षा के दौरान पृष्ठ संख्या 03 पर** कथन किये कि ' थाने से हम रपट नं 25 समय 15:10 रवाना हुए थे। मेरे साथ एस०आई० विनोद कुमार चौहान व का० अशोक कुमार सिंह और ऋषिपाल सिंह मय सरकारी जीप चालक महेन्द्र सिंह हुए थे। जिस जी०डी० से हम थाने से रवाना हुए थे वह जी०डी० पत्रावली पर संलग्न नहीं है। घटना स्थल पर 02 जीप थीं। लगभग 09 पुलिस वाले व एक्साइज वाले मौके पर मौजूद थे। हमने आपसी जामा तलाशी ली दी थी, लेकिन उसकी कोई फर्द नहीं बनायी थी। मौके से 02 जरी कैन बरामद हुई थीं तथा 18 पेटी पव्वे की बरामद हुई थी। जरी कैन गाड़ी में पायदान में आगे ड्राइवर के पैरों के पास थीं, कैन 10-10 लीटर की थी। एक कैन की चौड़ाई एक फुट तथा लम्बाई मुझे ध्यान नहीं है।' साक्षी ने **इसी पृष्ठ पर आगे** कथन किया कि 'यह कहना सही है कि इस घटना का काई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जबकि घटना आम रास्ते की है जिस पर हर समय आवा गमन रहता है। हमने घटना स्थल पर निष्पक्ष साक्षियों को फराहम करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मिले। हमने घटना स्थल के आस-पास गाँव के किसी निष्पक्ष साक्षी को ढूँढ़ने का प्रयास नहीं किया। मौके पर सील माल मेरी नमूना मुहर में था। मौके पर 7-8 सील पैकेट रहे होंगे। नमूना मुहर 02 तैयार हुए थे। यह कहना सही है कि कोई नमूना मुहर आज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। नमूना मुहर मेरे नाम की सील के थे। जिस पर सूरज सिंह लिखा था। यह कहना गलत है कि सील नमूना मेरे नाम का न हो। बरामद शुदा माल आज मेरे सामने मौजूद नहीं है। मुल्जिमान के पास से नौसादर, यूरिया आदि कोई सामान हमें नहीं मिला था, जिससे शराब में मिलावट होती हो। अभियुक्त के परिवार को मौके से कोई सूचना नहीं दी गयी थी यह बात सही है। गिरफ्तारी के प्रपत्र में परिवारजनों को सूचना की लिखा-पढ़ी मौके से नहीं की गयी थी। यह लिखा पढ़ी किसके हस्तलेख में है, मैं नहीं बता सकता व किस समय लिखी गयी, मैं नहीं बता सकता। मुकदमा कायमी के समय मैंने थाने पर लगभग 7-8 पुलिंदे मय नमूना मुहर दाखिल किये थे। इस मुकदमे के विवेचक एस०आई० ईश्वर सिंह मेरे अधीनस्थ थे। तहरीर मेरे हाथ की नहीं है, तहरीर मेरे द्वारा एस०आई० विनोद को मेरे द्वारा बोलकर लिखवायी गयी थी। मेरे द्वारा घटना स्थल से उच्चाधिकारियों को माल बरामदगी के संबंध में घटना स्थल से कोई सूचना नहीं दी गयी थी, थाने

पर आकर दी गयी थी। थाने से जो सूचना उच्चाधिकारियों को दी गयी थी उस लिखा पढ़ी की कोई कापी पत्रावली पर नहीं है।'

(घ)- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 04 सेवानिवृत्त एस०आई० ईश्वर सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "थाना प्रभारी सूरज सिंह द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 26/2013, अन्तर्गत धारा 60/72 (2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना मेरे सुपुर्द की गयी। थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर मेरे द्वारा विवेचना आरम्भ की गयी। चिक व नकल रपट की नकल मेरे द्वारा केस डायरी में की गयी। एफ०आई०आर० लेखक लाल चन्द्र के बयान केस डायरी में अंकित किये। वादी एस०ओ० सूरज सिंह के बयान केस डायरी में अंकित किये। उन्होंने घटना का समर्थन किया। अभियुक्तगण संदीप व बिजेन्द्र के बयान केस डायरी में अंकित किये। गवाह आबकारी निरीक्षक राज सिंह डागर, का० अजित सिंह, का० जितेन्द्र कुमार, का० कृष्ण कुमार केस डायरी में अंकित किये। सभी ने घटना का समर्थन किया। वादी एस०ओ० सूरज सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 7अ के रूप में संलग्न है। जो मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। शिनाख्त करता हूँ। नक्शा-नजरी पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। बयान गवाह एस०आई० विनोद कुमार केस डायरी में अंकित किया। बयान गवाह का० अशोक कुमार, का० ऋषिपाल सिंह, का० महेन्द्र सिंह केस डायरी में अंकित किये। सभी ने घटना का समर्थन किया। बाद तमाम विवेचना बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण संदीप व बिजेन्द्र के विरुद्ध अपराध धारा 60/72 (2) आबकारी अधिनियम, 272 भा०दं०सं० बखूबी साबित पाते हुए आरोप-पत्र प्रेषित किया। आरोप-पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 3अ के रूप में संलग्न है। जो मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। शिनाख्त करता हूँ। आरोप-पत्र पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 4अ/1 ता 4अ/2 प्रथम सूचना रिपोर्ट का० लालचन्द्र के हस्तलेख में है। इस पर का० लालचन्द्र के हस्ताक्षर हैं। पत्रावली पर कागज संख्या 5अ जी०डी० कायमी की कार्बन प्रति है जो का० लालचन्द्र के हस्तलेख में है। का० लालचन्द्र मेरे साथ थाना चांदीनगर पर तैनात रहे हैं। मैंने उन्हें लिखते-पढ़ते देखा है। मैं उनके लेख को पहचानता हूँ। कागज संख्या 4अ/1 ता 4अ/2 व कागज संख्या 5अ उनके हस्तलेख में है। शिनाख्त करता हूँ। कागज संख्या 4अ/1 ता 4अ/2 चिक पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। कागज संख्या 5अ पर **प्रदर्श क-5** डाला गया।" साक्षी ने दौराने **प्रति परीक्षा के पृष्ठ संख्या 02 पर** कथन किये कि '... यह कहना सही है कि मैं एस० ओ० सूरज सिंह के अधीनस्थ कार्यरत था। आरोप-पत्र लगाते समय मुझे एफ०एस०एल० रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। अभियुक्तगण के पास से कोई नौसादर, यूरिया प्राप्त नहीं हुआ था। बरामद दारू को मैंने थाने पर सूँघा था। जो सील था।' साक्षी ने **प्रति परीक्षा के पृष्ठ संख्या 03 पर** कथन किये कि 'जो 18 पेटी व 2 अपमिश्रित मिली उसी के आधार पर मैंने आरोप-पत्र प्रेषित किया था। बरामद माल मेरे सामने नहीं है। मौके से जो बरामद नमूना मुहर आज मेरे सामने नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श क-5 पर का० लालचन्द के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। यह बात सही है कि इस मुकदमे की विवेचना हेतु एस०ओ० द्वारा मुझे लिखित में कोई आदेश नहीं दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में मैंने निष्पक्ष साक्षी कोई बयान अंकित नहीं किया था। मुझे 2 दारू के नमूने मिले थे। मैंने दोनों नमूने आगरा एफ०एस०एल० में भेज दिये थे। नमूनों पर किसकी सील लग रही थी, अब मेरे ध्यान नहीं है। नमूना मोहर आज पत्रावली पर नहीं है। आगरा माल मेरे व एस०ओ० साहब के हस्ताक्षर से गया था। किस दिन गया, मैं नहीं बता सकता। बरामद शराब के पव्वे कौन सी ब्राण्ड के थे, अब मेरे ध्यान नहीं है। बरामद कैन ड्राइवर के बराबर में दूसरी सीट पर रखी थी तथा पेटी कुछ सीट व कुछ डिग्गी पर थीं। यह कहना सही है कि मैं थाना चाँदीनगर पर एस०ओ० सूरज सिंह के अधीनस्थ

कार्य करता था।' साक्षी ने **इसी पृष्ठ पर आगे** कथन किया कि 'यह कहना सही है कि उक्त मुकदमे का आरोप-पत्र मेरे द्वारा बिना एफ०एस०एल० रिपोर्ट प्राप्त हुए दाखिल किया था। एफ०एस०एल० रिपोर्ट आरोप-पत्र के साथ दाखिल नहीं की गयी थी।'

17- इस मामले में अब उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण व दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के आलोक में अभियोजन मामले को अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरापों की कसौटी पर परखा जाना है।

18- दाण्डिक मामलों में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1957 SCR 953** में यह कहा गया कि अभियोजन कथानक सही या सत्य होने की सम्भाव्यता (May be true) तथा अवश्य सत्य होना (Must be true) में काफी अन्तर होता है और अभियोजन केस को विधिक, विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य से अभियोजन को साबित करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **जैकम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 (1) JIC 289 SC** में यह अवधारित किया गया कि दाण्डिक विचारण कोई परिकथा नहीं है, जहाँ पर कोई भी अपनी परिकल्पनाओं की उड़ान भर सकता है। न्यायालय को अभियुक्त को दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु साक्ष्य की सम्भाव्यता, उसके साक्ष्य में मोल तथा साक्षीगण की विश्वसनीयता को देखना होगा। अभियोजन को अपना केस युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, जबकि अभियुक्त को केवल अभियोजन केस में संदेह उत्पन्न करना है।

19- उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आलोक में प्रकरण से सम्बन्धित कालानुक्रम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण में आरोपित आरोप की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आये साक्ष्यों के मूल्यांकन के पूर्व साक्ष्यों की ग्राह्यता एवं सुसंगतता के सन्दर्भ में स्थापित विधिक सिद्धान्त पर विमर्श करना समीचीन होगा।

20- प्रस्तुत मामले में उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्ल्यू० 01 एस०आई० अशोक कुमार व पी०डब्ल्यू० 02 हेड का० अजीत सिंह को फर्द बरामदगी के साक्षीगण के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 एस०आई० अशोक कुमार ने फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है एवं पी०डब्ल्यू० 03 सेवानिवृत्त निरीक्षक सूरज सिंह प्रश्नगत मामले का वादी मुकदमा है। अभियोजन की ओर से विवेचक ईश्वर सिंह को साक्षी पी०डब्ल्यू० 04 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने नक्शा-नजरी प्रदर्श क-2, आरोप-पत्र प्रदर्श क-3, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 तथा जी०डी०नं०-32 की कार्बन प्रति को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया गया है।

21- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 03 सूरज सिंह** जो कि वादी मुकदमा है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि 'दिनांक 17.03.2013 को मैं बतौर थाना प्रभारी चांदीनगर के पद पर तैनात था उसी दिन मैं व एस०आई० विनोद कुमार चौहान, का० अशोक कुमार, चालक महेन्द्र सिंह के साथ सरकारी जीप से बहवाले रपट नं० 25 समय 15:10 बजे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की तलाश एवं शान्ति व्यवस्था हेतु थाना क्षेत्र मामूर थे जब हम ललियाना तिराहे पर पहुँचे वहाँ पर पहले से मौजूद आबकारी निरीक्षक राज सिंह डागर अपने टीम के साथ मिले। आबकारी निरीक्षक द्वारा मुझे बताया गया कि उन्हें अवैध शराब आने की सूचना मिली है जो सुराना के पुल से आने वाली है। हमने जनता के गवाह को बनाने का प्रयास किया। कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोग अपनी-अपनी जीप से चलकर सुराना पुल से पहले जंगल ग्राम ललियाना सरकारी ट्यूबवेल के सामने जीपें खड़ी कर चेकिंग के मकसद से खड़े हो गये तभी सुराना पुल से एक कार रंग नीली आती दिखायी दी। उसे रोकने का इशारा किया व घेर कर रोकी गयी। चालक व पीछे बैठे व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, परन्तु चारों

ओर से घिरा होने के कारण भाग नहीं पाये। नाम-पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह बताया। इसके पैरों में रखी दो जरी कैन प्लास्टिक में लगभग 10-10 लीटर शराब थी। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम महा सिंह बताया। इसके पैरों में खाली जगह में कुल 8 पेटी गत्ते जिनमें प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की For Sale in Chandigarh लिखी, बरामद हुई। कार की डिग्गी से 10 पेटी गत्ते की, पेटी से प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की उपरोक्त बरामद हुई। इसकी जेब से 19,500/- रुपये बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि कैन में भरी शराब में ज्यादा नशा है। हम हरियाणा से सस्ती शराब लाकर यहाँ पर महँगी बेचते हैं। बरामद शराब में से नमूना मोहर लेकर नमूने व कच्ची शराब को सील सर्वे मोहर किया गया। गाड़ी के कागज दिखाने पर अभि० असफल रहे तो गाड़ी को 207 M.V. Act में सीज किया गया। फर्द मौके पर मेरे द्वारा बोल-बोल कर एस०आई० विनोद कुमार चौहान से लिखायी गयी। फर्द पढ़कर सुनाकर हमराहीगण के हस्ताक्षर बनवाये गये।' **इस प्रकार** इस साक्षी द्वारा यह साक्ष्य दी गयी कि अभियुक्तगण की जामा तलाशी ली गयी तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह बताया। जिसके पैरों में रखी दो जरी कैन प्लास्टिक में लगभग 10-10 लीटर शराब थी। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम महा सिंह बताया। इसके पैरों में खाली जगह में कुल 8 पेटी गत्ते जिनमें प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की For Sale in Chandigarh लिखी, बरामद हुई। कार की डिग्गी से 10 पेटी गत्ते की, पेटी से प्रत्येक में 48 पव्वे बेस्टो व्हिस्की उपरोक्त बरामद हुई। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 अशोक कुमार के द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क-1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की गयी तथा उसे प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 हेड का० अजीत सिंह के द्वारा, जिसके द्वारा साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 एवं पी०डब्ल्यू० 03 का हमराही होने का कथन किया गया, के द्वारा भी अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 एवं पी०डब्ल्यू० 03 के द्वारा किये गये कथनों को समर्थित कर साक्ष्य प्रस्तुत की।

22- पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने इस तथ्य का उल्लेख फर्द बरामदगी में किया कि उन्होंने जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया, परन्तु कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम घटनास्थल का नक्शा-नजरी देखें तो स्वीकृत रूप से पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा-नजरी जो कि प्रदर्श क-2 है, जिसको अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 04 के द्वारा साबित किया गया, वह सड़क ग्राम ललियाना में हिन्डन नदी के पुल का है, चारों तरफ काफी खेत होने का भी कथन किया गया है, तब अभियोजन साक्षीगण के द्वारा जनता के किसी व्यक्ति को गवाह बनने के लिए क्यों नहीं कहा गया और यदि जनता के व्यक्तियों द्वारा गवाह बनने से इनकार कर दिया गया था तो साक्षीगण द्वारा उक्त व्यक्तियों का नाम-पता क्यों नोट नहीं किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, इस सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया है। यद्यपि ऐसी कोई विधिक बाध्यता नहीं है कि प्रत्येक मामले में जनता के व्यक्ति को साक्षी बनाना आवश्यक हो, या पुलिस कर्मी के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर संदेहास्पद माना जाए कि उसके समर्थन में जनता के किसी व्यक्ति को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है। तथापि मामले के तथ्यों से यह इंगित होता है कि मौके पर जनता के व्यक्तियों की उपलब्धता थी एवं उन्हें साक्षी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह तथ्य अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता में संदेह उत्पन्न करता है।

23- पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए यह कथन किया गया है कि उसके विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा चलना बताया, विवेचक द्वारा बिना परीक्षण रिपोर्ट के गलत तथ्यों पर आरोप-पत्र प्रेषित किया जाना बताया, उसके कब्जे से फर्जी बरामदगी दर्शित किया जाना बताया, उसे गलत रूप से गिरफ्तार कर फर्जी बरामदगी दिखाते हुए गलत मुकदमे में

चालान करना बताया तथा उसके विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चलना बताया।

24- अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 272 के आरोप को सन्देह से परे साबित करने के लिए इस धारा के अवयवों को साबित करना आवश्यक है। धारा- 272 भा०दं०सं० के अपराध को साबित करने के लिए चार मुख्य आवश्यक तत्व हैं, जिनका न्यायालय के समक्ष साबित होना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्याालय की निम्नलिखित सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा धारा- 272 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें साबित करना आवश्यक बताया गया है-

अनिल शुक्ला बनाम उ०प्र० राज्य, दाण्डिक अपील संख्या-2791/2007, निर्णय दिनांकित 14.10.2019 में धारा- 272 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के सम्बन्ध में मुख्यतः चार तत्वों की पूर्ति होना आवश्यक बताया है।

To attract the offence under Section 272 IPC, following ingredients have to be present in the complaint:-

(i) adulteration in any article of food or drink;

(ii) because of adulteration, the food or drink articles has been rendered noxious;

(iii) intention to sell such adulterated article as food or drink; or

(iv) there should be knowledge that such adulterated article of food or drink would be sold.

Thus, adulteration of any article of food or drink has to be an intentional act on behalf of the accused and, further there should be intention of the accused to sell such an adulterated food item or he should know that the food item is adulterated and despite having knowledge, the accused has offered such adulterated item of food or drink for sale. Unless and until these ingredients are clearly established in the complaint, the provisions of Section 272 IPC cannot be attracted.

25- इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी अपायकर खाद्य वस्तु अथवा पीने के सामग्री तैयार करते समय अभियुक्त का आशय ऐसा होना चाहिए कि वह वस्तु अपायकर हो तथा वस्तु के अपायकर होने के साथ-साथ अभियुक्त का आशय उस अपायकर वस्तु को विक्रय करने का हो और यह भी आवश्यक बताया गया है कि अभियुक्त यह जानते हुए कि यह वस्तु खाने या पीने के लिए अपायकर है, इस जानकारी के साथ उस वस्तु को दूसरे को इस भाव के साथ विक्रय करे कि वह अपयाकर वस्तु खाने या पीने योग्य है। तब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अवयवों की पूर्ति होगी।

26- इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णीत एक अन्य सम्मानित विधि व्यवस्था **प्रदीप कुमार पाण्डेय व दो अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, दाण्डिक अपील संख्या-8560/2022, निर्णय दिनांकित 04.01.2024** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा- 272 भारतीय दण्ड संहिता के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करे कि अभियुक्त से बरामद शराब बिक्री के लिए थी और बरामद शराब का अपायकर होने सम्बन्धी तथ्य भी साबित होना आवश्यक माना गया है।

27- उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 60(2) एवं 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्धि प्रदान करने पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक तत्वों का साबित न होना मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्ति प्रदान की गयी।

28- इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **दाण्डिक अपील संख्या 5815/2019, अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्णय दिनांकित 05.01.2021** में अवधारित किया गया है कि- On a careful scrutiny of the impugned judgment and materials available on record, I am of the opinion that the prosecution in this case has failed to prove its case beyond all reasonable doubt. Two basic and important things are lacking. Firstly, there is no evidence on record to prove that the recovered item was meant for sale. Secondly, that the recovered item comes within the category obnoxious food/drink harmful for human consumption, so as to hold the appellant guilty of the offences under Section 272 IPC. At the most, offence, if any can be attributed to the appellant is under Section 60(2) of U. P. Excise Act only.

29- इस प्रकार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 272 के अपराध के गठित होने के लिये प्रथमतः यह आवश्यक है कि खाने या पीने की वस्तु में कोई ऐसी चीज मिलायी जाये, जिससे वह खाने या पीने के लिये अपायकर बन जाये तथा ऐसा कार्य इस आशय या ज्ञान से किया जाये कि उक्त वस्तु खाने या पीने के लिये बेची जायेगी। जबकि प्रस्तुत मामले में फर्द बरामदगी प्रदर्श क-1 एवं साक्षी पी० डब्ल्यू० 01, पी०डब्ल्यू० 02 व पी०डब्ल्यू० 03 के बयान के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से बरामद अपमिश्रित शराब, अभियुक्त के द्वारा बनाया जाना नहीं दर्शाया गया है और उक्त शराब की बिक्री के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि उसके द्वारा पूर्व में शराब की बिक्री की गयी है या उक्त शराब की बिक्री उसके द्वारा की जाती। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी भी परीक्षित नहीं कराया गया। साथ अभियोजन पक्ष की ओर से इस तथ्य को साबित करने के लिये भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त के पास से जो शराब बरामद की गयी है, वह अपायकर या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। भले ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-6 में नमूने में यूरिया की मात्रा पायी गयी हो, परन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य या विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह दर्शित हो कि ऐसी यूरिया मिश्रित शराब मानव स्वास्थ्य के लिये अपायकर थी तथा कितनी मात्रा में यूरिया मिली होने पर कोई द्रव मानव स्वास्थ्य के लिये अपायकर बन जाता है। जबकि धारा 272 भा०दं० सं० के अपराध को साबित होने के लिये यह आवश्यक है कि यह साबित हो कि प्रस्तुत मामले में कथित रूप से बरामद यूरिया मिश्रित शराब बेचने के आशय से ले जायी जा रही थी। इस तथ्य को साबित करने के लिये अभियोजन के पास मात्र अभियुक्त के द्वारा पुलिस को दिया गया बयान ही है, परन्तु अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में इन सब बातों से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को यह साबित करना चाहिये था कि ऐसी शराब का विक्रय कहाँ किया जाना था। अभियोजन ने इस तथ्यों को भी साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद शराब कहीं बेचने हेतु ले जायी जा रही थी। इस निष्कर्ष को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि फर्द बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है।

30- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों की साक्ष्य को यदि देखा जाए तो साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा के दौरान नोटों की संख्या को फर्द बरामदगी में अंकित किये जाने का कथन किया गया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी में नोटों की कोई संख्या अंकित नहीं है। साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 द्वारा जिरह के दौरान अभियुक्त संदीप के कब्जे से 19,500/- रुपये बरामद किये जाने का कथन किया गया है, जबकि साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 ने रुपये बिजेन्द्र की जेब से बरामद होना बताया तथा साक्षी पी०डब्ल्यू०

03 ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त संदीप के पास से रुपये बरामद होना नहीं कहा है, बल्कि साक्षी पी०डब्ल्यू० 03 द्वारा अपने बयानों में महा सिंह के पास से 19,500/- रुपये बरामद होना कहा गया है और इसी आशय का कथन फर्द बरामदगी में भी अंकित है, जबकि पत्रावली पर महा सिंह नाम का कोई व्यक्ति मौके से गिरफ्तार किया जाना नहीं कहा गया है। किसी भी साक्षी द्वारा अपने-अपने बयानों में नोटो की संख्या कितनी थी, इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है और न ही उक्त के सम्बन्ध में फर्द बरामदगी में भी कोई कथन अंकित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से बरामद किये गये रुपयों के सम्बन्ध में साक्षीगण द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं।

31- अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा के दौरान यह भी कथन किया कि शराब अभियुक्त संदीप के कब्जे से मिली थी, जो उसने अपने पैरों में रखी थी, जबकि साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 द्वारा प्रति परीक्षा के दौरान कथन किया है कि कैन आगे ड्राइवर की बराबर वाली सीट के नीचे रखी थी और ये कैन ड्राइवर ने अपने पैरों में नहीं दबा रखी थी। इस सम्बन्ध में यदि अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 03 की साक्ष्य को यदि देखा जाए तो उसके द्वारा महा सिह नाम के व्यक्ति के पैरों के पास में खाली जगह से कुल 8 पेटी गत्ते बरामद होना कहा गया है, जबकि पत्रावली पर महा सिंह नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त से की गयी कथित शराब की बरामदगी के सम्बन्ध में भी अभियोजन साक्षीगण द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं, जिनसे अभियुक्त से की गयी शराब की कथित बरामदगी संदेहास्पद प्रतीत होती है। अभियुक्त से बरामद माल भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

32- अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 अशोक कुमार द्वारा प्रति परीक्षा के दौरान तैयार किये गये नमूना मोहर पर इंचार्ज सूरज सिंह के नाम की सील होने का कथन किया गया है, जबकि साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 अजीत सिंह द्वारा नमूना मोहर पर एक्साइज इन्सपेक्टर राज सिंह डावर के नाम की सील होना बताया है। रवानगी की जी०डी० भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 04 ईश्वर सिंह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उनके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र बिना एफ०एस०एल० रिपोर्ट प्राप्त किये ही न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि उनके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से कोई यूरिया, नौसादर आदि बरामद नहीं किया गया था। फर्द बरामदगी में बरामद माल को कपड़े में सील किया जाना बताया गया है तथा उस पर चिटबन्दी किया जाना बताया है, जबकि अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 ने दौराने प्रति परीक्षा बरामद माल को जूट के बोरों में सील किया जाना बताया है तथा उस पर मोटे पेन से लिखा जाना बताया है। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उस पर कोई चिट नहीं लगायी गयी थी। इस प्रकार उपरोक्त के सम्बन्ध में भी अभियोजन साक्षीगण के बयानों में परस्पर गम्भीर प्रकृति के विरोधाभास हैं। जिससे अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न होता है।

33- उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध दर्शायी गयी फर्द बरामदगी संदिग्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए तथ्य के साक्षी के रूप में वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू० 03 सूरज सिंह को परीक्षित कराया गया, जो प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं वादी मुकदमा है तथा फर्द बरामदगी के साक्षीगण पी०डब्ल्यू० 01 अशोक कुमार एवं पी०डब्ल्यू० 02 हेड का० अजीत सिंह को परीक्षित कराया गया, जो पुलिसकर्मी हैं एवं उक्त साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर भी फर्द बरामदगी संदिग्ध है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये पुलिसकर्मी साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा स्वतन्क्ष साक्षी परीक्षित नहीं कराया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो उक्त साक्षीगण के साक्ष्य की पुष्टि करता हो। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के पास से अवैध शराब बरामद होना बताया गया था, परन्तु अभियुक्त के

पास से बरामद माल को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

34- अभियोजन का यह कहना है कि अभियुक्त ने स्वयं अपने जुर्म को स्वीकारा है। जिससे अभियुक्त द्वारा किया गया जुर्म साबित है। यह तथ्य विधि विरुद्ध है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह प्राविधानित करती है कि पुलिस अफसर से की गयी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जायेगी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 यह प्राविधानित करती है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गयी संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है, यदि उसके किये जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उप प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गयी है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया और जो न्यायालय की राय में इसके लिये पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति की यह अनुमान करने के लिये उसे युक्ति युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठायेगा या ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।"

35- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष अपने इस कथानक को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त का आशय अपायकर शराब को विक्रय करने का था, और न ही सम्पूर्ण पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य है कि अभियुक्त ने उक्त शराब किसी व्यक्ति को पीने योग्य बताते हुए विक्रय की हो। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अवयवों की पूर्ति नहीं होती। अतः अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272 के सम्बन्ध सन्देह से परे साबित नहीं होता है।

36- इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध सन्देह से परे आरोपित अपराध धारा 272 भा०दं० सं० व धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि दिनांक 17.03.2013 को समय करीब 16:15 बजे, स्थान जंगल ग्राम ललियाना, थाना चाँदीनगर, जनपद बागपत में थाना चाँदीनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त **संदीप** को गिरफ्तार किये जाने पर अभियुक्त के कब्जे से 18 पेटी गत्ता से 864 पव्वे अंग्रेजी शराब वेस्टो अपमिश्रित बरामद की गयी तथा अभियुक्त द्वारा उक्त बरामद की गयी शराब को यह जानते हुए कि वह पेय के रूप में बेची जायेगी, ऐसे अपमिश्रित किया गया कि वह पेय के रूप में अपायकर बन गयी।

37- उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त संदीप के विरुद्ध आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजयी सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 एआईआर 1459, 1990 एससीआर (2) 573**, में अभियोजन के सबूते के भार के सम्बन्ध में यह विधि व्यवस्था दी है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। अभियोजन पक्ष जब तक अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे सिद्ध न कर दे तब तक अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देकर उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता।

38- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा निर्णीत **दाण्डिक अपील संख्या 633/2013 निर्णय दिनांकत 31.01.2022 पिंकू उर्फ जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम लिखा देने से कोई अभियुक्त दोषी साबित नहीं हो जाता है, जब तक कि उसे अन्य समर्थित साक्षियों से दोषी साबित न कर दिया जाए।

39- आपराधिक विधि शास्त्र में विचारण न्यायालय से यह भी अपेक्षा की गयी है कि सन्देह चाहे कितना भी न्यून हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। अतः ऐसे मामले में अभियुक्त के परिप्रेक्ष्य में यदि साक्ष्य के आधार पर यदि न्यायालय के मन मे सन्देह उत्पन्न हो गया हो तो ऐसी परिस्थिति

में सन्देह का लाभ अभियुक्त को ही प्रदान किया जाएगा।

40- **वी०एन० मुत्तो एवं अन्य बनाम टी०के० नन्दी (1979) 1 एस०सी०सी०-361** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि यह हमारे आपरधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धान्त से उपजा है कि अभियुक्त किसी भी उचित संदेह का लाभ पाने का हकदार है। यदि दो यथोचित, संभावित, सामान्य रूप से संतुलित विचार संभव है तो उचित संदेह के अस्तित्व को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना चाहिए लेकिन काल्पनिक व दूरस्थ संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए।

41- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए औपचारिक प्रपत्रों एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन कथानक सन्देहास्पद है तथा अभियुक्त संदीप के विरुद्ध सन्देह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

42- प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियोजन पक्ष अभियुक्त संदीप पर आरोपित आरोपों को युक्ति युक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त सन्देह के आधार पर दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

43- अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त संदीप के विरुद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 भा०दं०सं० को विश्वसनीय साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1- अभियुक्त **संदीप** को सत्र परीक्षण कम्प्यूटर संख्या 200448/2013, मु०अ०सं० 26/2013, अन्तर्गत धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 भा०दं०सं०, थाना चाँदीनगर, जनपद बागपत के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

2- अभियुक्त संदीप प्रश्नगत मामले में जमानत पर है जो आज स्वयं न्यायालय में हाजिर आया। अभियुक्त के जमानत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3- अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437(ए) दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत मु० 25,000/- रुपये का स्व बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रति-भू अन्दर सप्ताह दाखिल करना सुनिश्चित करे। अभियुक्त को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे तलब किया जाता है तो वह वहाँ उपस्थित होगा। यह बन्धपत्र छह माह की समायवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः 12.06.2026 **पूनम राजपूत**
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।

उक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 12.06.2026 **पूनम राजपूत**
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।